यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून** के माह 04/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं डा॰ सतीश पाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 04.06.2018 से 07.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो तथा अशासकीय वित्त सहित विद्यालयो के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग से संबन्धित समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरण, लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियो की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के अनुमोदन सम्बन्धी कार्य किये जाते है।
3. **(i) कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त देहारादून जनपद है।**

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	66.03	64.11	2.19	2.19	-	1.92
2017-18	-	-	80.88	80.45	8.28	8.28	-	0.43
2018-19	-	-	31.71	19.60	0.00	0.00	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2016-17	शून्य					
2017-18						
2018-19						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया| लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 1:- ₹ 8.28 लाख की धनराशि के भुगतान करने के 2½ माह व्यतीत होने के बाद भी कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 घोषणा (अनुभाग) सं. 24(30)/XXV-4 घो./2017 देहरादून दिनांक 29.06.2017 में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19 जून 2017 को विधान सभा क्षेत्र डोईवाला में घोषणा की गयी जिसमें राजकीय प्राथमिक विधालय डिम्मर जर्जर भवन का निर्माण किया जाना था उक्त के क्रम में पत्रांक शिवर बे./10202/मा.मु.म.घो./2017-18 दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा टी.ए.सी. एवं जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों का निष्प्रोज्य प्रमाण पत्र निदेशक को भेजा गया तत्पश्चात सं. 562/XXIV(1)/घोषणा संख्या 100/पत्र.सं. 77/2017 बिन्दु संख्या 2 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा टी.ए.सी. करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ 20.70 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 8.28 लाख अवमुक्त की गयी। पत्रांक लेखा स्था. 15205.08 पुर्ननिर्माण/2017-18 दिनांक 14 मार्च, 2018 को शासनादेश दिये निर्देश के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय डिम्मर जर्जर भवन का पुर्ननिर्माण किया जाना था। जिस हेतु विभाग द्वारा ग्रामीण निर्माण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया उक्त के क्रम में पत्रांक 1442/ग्रा.नि.वि. कार्य-तीन/शिक्षा विभाग/2017-18 दिनांक 14 मार्च, 2018 कार्यदायी संस्था द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त कार्य की धनराशि विभाग के ट्रेजरी लेखाशीर्षक Rural Engineering Division Dehradun Head no. 8782001020200 में अथवा अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून के नाम चैक/ड्राफ्ट उपलब्ध करने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा वाउचर बी. 420200 दिनांक 22.03.2018 चालान के माध्यम से कार्यदायी संस्था को ₹₹ 8.28 लाख की धनराशि प्रेषित कर दी गयी। शासनादेश 562/XXIV(1)/घोषणा संख्या 100/पत्र.सं.77/2017 बिन्दु सं. 8 के अनुसार कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.12.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाय, परन्तु विभाग द्वारा ₹ 8.28 लाख की धनराशि के भुगतान करने के 2½ माह व्यतीत होने के बाद भी कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे कहा कि कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग से एम.ओ.यू. शीघ्र ही हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………………………………………………….Nil……………………………………………………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री मेहरबान सिंह बिष्ट	जिला शिक्षा अधिकारी	14.09.2015 से 17.05.2017
2.	श्रीमति हेमलता भट्ट	जिला शिक्षा अधिकारी	18.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.